न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुरेश राव (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–07/2024

जी सी एम एस नं.–2024/85

नीतू पत्नी दीपक कुमार जाति आरोडा निवासी वार्ड नं.–25 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

–प्रार्थीया

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)

–अप्रार्थी

वकील उपस्थित–

1. सुखविन्द्रसिंह एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
2. राज पैरोकार अप्रार्थी की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः 25/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया के नाम से चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ़ का खाता सं. नया 78 का प.नं.–268/431 मु.नं.–33 के कि.नं.–23/4 की 0.025 हैक्टर व प.नं. –268/432 मु नं.–33 का कि.नं.–8/1 का 0.152, 3/2 का 0.126, 9/1 का 0.127, 10 का 0.228 हैक्टर कुल 0.658 हैक्टर नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। प्रार्थीया निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज उक्त कृषि भूमि पूर्व में सुखमन्दरसिहं पुत्र जंगीरसिहं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो प्रार्थीया द्वारा सुखमन्दरसिहं से जरिए पंजीकृत बैयनामा 25.01.2024 को खरीद की हुई तदुपरात उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम से दर्ज हई है एवं प्रार्थीया के नाम दर्ज हो जाने के उपरांत अब प्रार्थीया को यह ज्ञात हुआ है कि प.नं.–268/431 के कि.नं.–23/4 की 0.025 हैक्टर की भूमि का वास्तव में प.नं. 268/432 है। प्रार्थीया द्वारा मूल खातेदार सुखमन्दरसिहं के नाम के पिछले समस्त रिकार्ड की छान बीन की तो प्रार्थीया को ज्ञात हुआ कि मूल खातेदार सुखमन्दरसिहं के नाम से प.नं.–268/432 मु.न. –33 का कि.नं.–1,2,3 प्रत्येक में 0.253, 8/1 का 0.126, 9/1 का 0.127, 10 का 0.228 हैक्टर 23/3 में 0.050 हैक्टर कुल 1265 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी लेकिन कालान्तर में राजस्व विभाग के कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकार्ड तैयार करने पर सहबन से उनकी सदभाविक भूल के कारण प.नं.–268/432 मु.नं.–33 का कि.नं.–23/3 में 0.050 हैक्टर का प.सं.– 268/431 में दर्ज हो गया जबकि मुरब्बा नं.–33 ही अंकित है। जमाबन्दी सं.–2057 से 2060 की प्रमाणित प्रति सलग्नं है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो राजस्व रिकार्ड तैयार किया गया उसमें सहबन से पूर्व खातेदार सुखमन्दरसिहं के नाम से चक 74 जी बी का प.नं.–268/432 मु.न. –33 का कि.नं.–1,2,3 प्रत्येक में 0.253, 8/1 का 0. 126, 9/1 का 0.127, 10 का 0.228 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:55 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

23/3 में 0.050 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि के स्थान पर प.नं.–268/432 मु.नं.–33 में कि.नं.–1,2,3 प्रत्येक में 0.253, 8/1 का 0.126, 9/1 का 0.127, 10 का 0.228 हैक्टर कुल 0.633 हैक्टर व प.नं.–268/431 के कि.नं.–23/4 की 0.025 हैक्टर दर्ज कर दी गई जबकि प.नं.–268/431 के कि.नं.–23/4 की भूमि का वास्तविक पत्थर सं.–268/432 है। जो कि एक सदभाविक एवं लिपिकि त्रुटि है ऐसी स्थिति में रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थीया के नाम से प.नं.–268/432 के कि.नं.–23/4 की 0.025 हैक्टर दर्ज जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया को उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि के बारे में पूर्व में कतई इल्म नंही था जिसका सर्वप्रथम इल्म उस समय हुआ जब अरसा 10 दिन पूर्व हल्का पटवारी द्वारा यह बताया गया कि प.नं.–268/431 के कि.नं.–23/4 की 0.025 हैक्टर की भूमि का वास्तविक पत्थर सं.–268/432 है जो पूर्व खातेदार सुखमन्दरसिहं के नाम से दर्ज थी लेकिन बाद में राजस्व रिकार्ड तैयार करते हुऐ उक्त त्रुटि हुई है तथा पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि आप राजस्व रिकार्ड में अब दुरूस्ती करवा सकते है जिस पर प्रार्थीया तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष राजस्व अभिलेख में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के सम्बधं में मिली तो उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती बाबत आदेश लेकर आओ। इसलिए प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की कृषि भूमि वाके चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ़ का प.नं.–268/431 के किला नं.–23/4 की 0.025 हैक्टर के सम्बध में वर्तमान राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीया में नाम से चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–268/432 का किला नं.–23/4 का 0.025 हैक्टर कृषि भूमि का इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ को जवाब स्टेट हेतु पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट ली गई। मुताबिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया नीतू पत्नी दीपक कुमार जाति अरोडा साकिन अनूपगढ़ के नाम से चक 74 जीबी का पं.नं.–268/431 मु.नं.–33 कि.नं.–23/4 का 0.025 हैक्टर नहरी तथा प.नं.–268/432 मु.नं.–33 कि.नं.–3/2 का 0.52 हैक्टर, 8/1 का 0.1268, 9/1 का 0.127 हैक्टर, 10 का 0.228 हैक्टर, कुल 0.633 हैक्टर, दोनो का कुल 0.658 हैक्टर नहरी मय खाला दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया उक्त प.नं.–268/432 मु.नं.–33 की दुरूस्ती कर 268/431 मु.नं.–33 करवाना चाहती है मुताबिक चालु रिकार्ड, गत वर्षो का रिकार्ड एवं नक्शा आदि का अध्ययन किया गया। प.नं.–268/431 मु.नं.–33 चक 74 जीबी में स्थित है जबकि प.नं.–268/432 मु.नं.–3 चक 73 जी बी में स्थित है। दो मुरब्बो क्रमश 268/431 व 268/432 में समान मु.नं.–33 दर्ज किया है जो गलत है। जमाबन्दी संव[illegible]268/431 में दर्ज था (खाता सं.–55) लेकिन जमाबन्दी संवत 2053–56 में खाता सं.–56 [illegible] प.[illegible]68/432 मु.नं.–33 दर्ज हो गया। जनाबन्दी खाता सं.–46 मे प.नं.–[illegible]/432 मु.नं.–33 [illegible]कला नं.–1 का 0.228 हैक्टर, खाता सं.–61 में 268/432 मु नं.–33 का [illegible] खाता सं.–56 में प.नं. 268/432 मु.नं.–33 का किला नं.–2/1 का 0.025, 3/1 का 0.101 हैक्टर, खाता सं.–78 में प.नं.

82

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:55 IST
Reason: SelfAttested

–268/432 मु.नं.–33 का किला नं.–3/2 का 0.152 हैक्टर, 8/1 का 0.126 हैक्टर, 9/1 का 0.127 हैक्टर, 10/0.228 हैक्टर उक्त चारों खातो में 8 खसरे प.नं.–288/432 मु नं.–33 में दर्शा रखे है जबकि मौका पर उक्त रकबा चक 74 जी बी प.नं.–268/431 मु.नं.–33 में स्थित है। प.नं. –268/432 सर्व प्रथम तो चक 74 जीबी में ना होकर चक 73 जीबी में स्थित है। तथा मु.नं.–33 ना होकर मु.नं.–3 इसलिए उक्त चारो खातो में स्थित प.नं.–268/432 मु नं.–33 के किला नं.–1 का 0.228 हैक्टर, 2/2 का 0.228 हैक्टर, 2/1 का 0.025 हैक्टर, 3/1 का 0.101 हैक्टर, 3/2 का 0.1528 हैक्टर, 8/1 का 0.126 हैक्टर, 9/1 का 0.127 हैक्टर, 10/0.228 हैक्टर, को पं.नं. –268/431 मुंनं.–33 कर दुरुस्ती कि जानी उचित है।

अतः श्रीमान जी मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीया नीतू पत्नी दीपक कुमार जाति अरोडा साकिन अनूपगढ़ की प.नं.–268/432 मु नं.–33 के स्थान पर प.नं.–268/431 मु नं.–33 कर दुरुस्ती कि जानी उचित है। अतः पटवारी हल्का रिपोर्ट मय दस्तावेज आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उभयपक्षकार की बहस सुनी गई पत्रावली में दर्ज तथ्यो एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात से यह स्पष्ट हैं कि तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीया नीतू पत्नी दीपक कुमार जाति अरोडा साकिन अनूपगढ़ चक 74 जी बी का प.नं.–268/432 मु.नं.–33 के स्थान पर प.नं.–268/431 मु नं.–33 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि **चक 74 जी बी तहसील अनूपगढ़ का प.नं.–268/431 मु.नं.–33 किला नं. –23/4 का 0.025 हैक्टर के स्थान पर प.नं.–268/432 मु.नं.–33 किला नं.–23/4 का 0.025 हैक्टर को दुरूस्त** किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक** 25/02/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:55 IST
Reason: SelfAttested